



155

न्यायालय श्रीमान ~~सरदार~~ ^{महोदय} महोदय जिला सीहोर म. प्र.

R-1967-11/12

वरकतशाह आयु लगभग 70 वर्ष आ. श्री हुसेनशाह जाति मुसलमान

निवासी ग्राम रेंहटी कृषक ग्राम रमपुरा चकल्दी तहसील रेंहटी जिला

सीहोर म. प्र. -----आवेदक / निगरानी कर्ता

विरुद्ध

की जाति हुसेनशाह
जिला सीहोर म. प्र.
11.6.12
का अ. म. म. म. म.
14.6.12

जाकिरशाह आयु लगभग 3 वर्ष आ. श्री कुदरतशाह जाति मुसलमान

निवासी ग्राम रमपुरा चकल्दी तहसील रेंहटी जिला सीहोर --- उत्तरदाता

आवेदन अर्न्तगत धारा 52 एवं सहपठित धारा 50 म. प्र. भू रा.संहिता

आवेदक की और से निम्न निवेदन है कि :-

14-6-12
का
25/6/12

1. यहकि आवेदक द्वारा माननीय आधिस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय रेंहटी के सीमांकन प्रकरण कृमांक 2/अ12/11-12 सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 19/11/11 के विरुद्ध एक निगरानी याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है जिसमे उसे सफल होने की पूर्ण आशा है ।
2. यहकि माननीय आधिस्थ न्यायालय ने उक्त सीमांकन प्रकरण मे संहिता के वंधनकारी प्रावधानों की घौर अनदेखी करते हुऐ उक्त सीमांकन प्रकरण तैयार कर सीमांकन दिनांक 19/11/11 की पुष्टि की है जो प्रकरण मे प्रथम दृष्टया ही अवलोकनीय है विशेषतः सीमांकन के सूचनापत्र प्रथम दृष्टया ही अवलोकनीय है जिसमे आवेदक वरकतशाह के नाम के आगे किसी और के हस्ताक्षर कराये गये है यानि आवेदक को सीमांकन की सूचना नहीं दी गयी ।
3. यहकि सूचनापत्र किस कार्यालय से जारी किये गये औश्र कव जारी किये गये और किसके द्वारा तामील करायी गई न तो कोई टीप अंकित है और न ही तामीली कर्ता के हस्ताक्षर है और न ही नाम है । यह भी अंकित नहीं है कि सूचनापत्र किस दिनांक को तामील कराये गये है इस प्रकार की कार्यवाही विधि मे मान्य नहीं है ।

M

(Signature)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R.: 1966/11/12 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश वि. ० चौदशाह एवं जाकि सप्त	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-3-16	<p>यह निगामी तहसील के सीमांकन प्रकर्मक- 2 एवं 3/3-12/2011-12 में जारी आदेश दिनांक 19-11-11 के विकल्प प्रस्तुत की गई है।</p> <p>प्रकृत में अधिकाधिक अधि. की नये-दु सिद्ध प्रकृत एवं इनाम अधि. की प्रकृत सिद्ध उप.। उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा अधिलेख के आधार पर निर्णय लेने का निर्वेदन किया गया।</p> <p>उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्कों के संदर्भ में निगामी मेमो में अधिक तथ्यों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि निगामी सीमांकन आदेश दिनांक 19-11-11 के विकल्प प्रस्तुत की गई है और निगामी मेमो में सहायता सहित की धारा 250 के प्रकृत में चर्चा गई है कि 250 का काम वा प्रकृत में किस आदेश के क्रम में सहायता चाही गई है स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार प्रस्तुत निगामी एवं चाही गई सहायता में एक रूपता नहीं है। प्रस्तुत निगामी तहसील में निर्दिष्ट उचित प्रक्रिया एवं निर्धारित नियमों के अनुरूप प्रस्तुत होने से विन्वा योग्य नहीं है।</p> <p>अतः प्रस्तुत निगामी विहित प्रक्रिया एवं नियमों के विपरित होने से बिना किसी</p>	

R. 1966/11/12

सीधे

✓

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश कार्यवाही तथा आदेश कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
------------------	--	---

नालिक परिणाम के इलाके पर पत्राचार की जाती है। यदि आपसे कोई पत्र आये तो उसे तुरंत भेज दिया जायेगा ताकि आवश्यकतानुसार उपरोक्त आदेशों एवं संबंधित प्रकरणों के सम्बन्ध में कार्य चालू हो सके। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

उक्त निर्णयों के सम्बन्ध में पत्राचार की जाती है। यह आदेश दिनांक 1966 एवं 1967/11/12 दिनों पर लागू होगा। पक्षकार सूचित हो।



M

(नदीय)